बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

<u>संकल्प</u>

विषयः– **आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) अंतर्गत बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के अधीन पूर्व से सृजित कुल 06 (छः) पदों का प्रत्यर्पण तथा कुल 05 (पाँच) नये पदों के सृजन की स्वीकृति।**

आयुष्मान भारत–प्रधानमत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) कार्यक्रम के सचालन एव क्रियान्वयन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के दिशा–निदेश के आलोक मे राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के अतर्गत राज्य स्वास्थ्य अभिकरण (SHA) का बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति के रूप में गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018–19 मे प्रारम्भ की गयी ''आयुष्मान भारत–प्रधानमत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)''एक पात्रता आधारित योजना है। योजना का विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में है। इस योजना के तहत चिन्हित प्रत्येक लाभुक परिवार को देश के सरकारी एव सूचीबद्ध निजी अस्पतालो में कैशलेस एव पेपरलेस व्यवस्था के तहत् प्रतिवर्ष पॉच लाख रूपये तक की चिकित्सा सुरक्षा का लाभ प्रदान करने का प्रावधान है। योजना की विशेषताएँ निम्नवत् है –

(i) रु0 5 लाख तक का चिकित्सा सुरक्षा प्रतिवर्ष प्रति परिवार।

(ii) परिवार के आकार, आयु और लिग का कोई प्रतिबध नही है।

(iii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA-2013) के लाभार्थियो को संम्पूर्ण रूप से स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान के क्रम में प्रथम 1,21,10,525 परिवार को आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) से आच्छादित किया गया है।

(iv) योजना के अतर्गत, लाभार्थी परिवारों को कैशलेस चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी।

(v) पहले से मौजूद सभी बीमारियो पर योजना के पहले दिन से चिकित्सा सुरक्षा प्राप्त होगी। अस्पताल में भर्ती होने से पहले और अस्पताल छोडने के बाद के इलाज पर होने वाले खर्च भी चिकित्सा सुरक्षा मे शामिल हैं।

(vi) भारत के किसी भी स्थान मे सभी सार्वजनिक या सूचीबद्ध निजी अस्पतालो मे जाकर कैशलेस उपचार करवाया जा सकता है।

2. उक्त समिति के अधीन मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति से स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक–68 (12) दिनांक–18 01 2019 एवं ज्ञापाक–86 (12) दिनांक–27.01 2020 के द्वारा विभिन्न कतिपय पदों का सृजन किया गया परन्तु वर्त्तमान परिप्रेक्ष्य में इन पदों की प्रासंगिकता नहीं रहने के कारण इन स्वीकृत किये गये पदों को प्रत्यर्पित किया जाता है।

(क) प्रत्यर्पण किये जाने वाले पदों का विवरण :–

(i) सॉफ्टवेयर डेवलपर (Software Developer) – 04 (चार) पद

(ii) डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर (Data Base Administrator) –01 (एक) पद

(iii) सिस्टम एनालिस्ट (System Analyst) - 01 (एक) पद

(ख) आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित पदों का सृजन किया जाता है:–

(i) स्टेट एन्टी फ्रॉड यूनिट हेड (State Anti Fraud Unit (SAFU) Head) (बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव/सयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारी–प्रतिनियुक्ति के आधार पर) –01 (एक) पद

(ii) स्टेट एन्टी फ्रॉड यूनिट मैनेजर (State Anti Fraud Unit (SAFU) Manager) 01(एक) पद

(iii) हॉस्पिटल इम्पैनलमेंट मैनेजर (Hospital Empanelment Manager) - 01 (एक) पद

(iv) बेनिफिशियरी आईडेन्टिफिकेशन सिस्टम असिस्टेट मैनेजर (Beneficiary Identification System (BIS) Assistant Manager) - 01 (एक) पद

(v) बेनिफिशियरी आईडेन्टिफिकेशन सिस्टम एग्जीक्यूटिव (Beneficiary Identification System (BIS) Executive) - 01(एक) पद

3. उपर्युक्त कंडिका–2 (ख) (i) मे वर्णित पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर एव कंडिका –2 (ख) (ii), 2 (ख) (iii), 2 (ख) (iv) एवं 2 (ख) (v) मे वर्णित पदों पर नियुक्ति सविदा के आधार पर की जाएगी।

4 उपर्युक्त कंडिका–2 (क) मे वर्णित पदो के प्रत्यर्पण के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 51,00,000/– (इक्यावन लाख) रू0 की अनुमानित वार्षिक बचत एव कंडिका–2 (ख) में वर्णित पदो के सृजन के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 27,00,000/– (सताईस लाख) रू0 की अनुमानित वार्षिक व्यय होगा। इस प्रकार परिणामतः 24,00,000/– (चौबीस लाख) रू0 की अनुमानित वार्षिक बचत होगी।

5 आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) योजना पर होने वाले व्यय का वहन केन्द्राश और राज्याश की सम्मिलित राशि से क्रमश· 60 40 के अनुपात में किया जायेगा। योजनान्तर्गत राशि मांग संख्या–20 मुख्यशीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–110–अन्य बीमा योजनाए, उपशीर्ष–0205–आयुष्मान भारत–प्रधानमत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) विपत्र कोड–20-2235-60-110-0205 एव मांग संख्या–20, मुख्यशीर्ष–2235– सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप मुख्यशीर्ष–60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघुशीर्ष–110–अन्य बीमा योजनाए, उपशीर्ष–0305–आयुष्मान भारत–राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन (AB-NHPM) विपत्र कोड–20-2235-60-110-0305 के तहत बजट उपबध के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6 प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति एव मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना एवं स्वास्थ्य विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों, सभी जिला पदाधिकारियों, सिविल सर्जन कार्यालयों एवं जिला स्वास्थ्य समिति कार्यालयों को दी जाए।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(शम्भू शरण)

अपर सचिव।

ज्ञापांक–**SHSB/GA/AB-PMJAY/3476/2018-** पटना, दिनांक– / /
(**सं0सं0**–12 / प0क0–09–44 / 2018)
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अक मे प्रकाशनार्थ प्रेषित / ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
अपर सचिव।

ज्ञापांक–**SHSB/GA/AB-PMJAY/3476/2018-** पटना, दिनांक– / /
(**सं0सं0**–12 / प0क0–09–44 / 2018)
प्रतिलिपिः–महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
अपर सचिव।

ज्ञापांक–**SHSB/GA/AB-PMJAY/3476/2018-** पटना, दिनांक– / /
(**सं0सं0**–12 / प0क0–09–44 / 2018)
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार, पटना / विकास आयुक्त, बिहार, पटना / मा0 मुख्यमंत्री के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

ह0 / –
अपर सचिव।

ज्ञापांक–**SHSB/GA/AB-PMJAY/3476/2018-** पटना, दिनांक– / /
(**सं0सं0**–12 / प0क0–09–44 / 2018)
प्रतिलिपिः–कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि0, पटना / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार स्वास्थ्य सुरक्षा समिति, बिहार, पटना / सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना / सभी क्षेत्रीय उप–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार / सभी सिविल सर्जन, बिहार / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), विभाग, बिहार, पटना / सभी कोषागार / उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–07, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

ह0 / –
अपर सचिव।

ज्ञापांक–**SHSB/GA/AB-PMJAY/3476/2018-** पटना, दिनांक– / /

(सं0सं0–12 / प0क0–09–44 / 2018)

प्रतिलिपिः–अपर मुख्य सचिव, मत्रिमडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मत्रिपरिषद् की बैठक दिनाक–19.12 2024 मे मद सख्या–16 के आलोक में की गई कार्रवाई के अनुपालन मे सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –

अपर सचिव।

ज्ञापांक–**SHSB/GA/AB-PMJAY/3476/2018-** 1304(12) पटना, दिनांक–26/12/2024

(सं0सं0–12 / प0क0–09–44 / 2018)

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को इस सकल्प की प्रति विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

26.12.24

अपर सचिव।

Ajay letter 12 //